

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट, जिला-बालाघाट (म0प्र0)
{ पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }

व्यवहार वाद क्र. 137-ए/2017

संस्थापन दि. 09.10.2017

फाईलिंग नं. आर.सी.एस.ए/757/2017

देवसिंह वल्द सुक्कल, उम्र 40 साल, जाति लोधी,
 निवासी ग्राम बोदा, तहसील व
 जिला-बालाघाट(म0प्र0).....

आवेदक/वादी

// विरुद्ध //

1. सुक्कल पिता ढोन्डू, उम्र 80 साल, जाति लोधी,
2. खेलनबाई बेवा साहेबलाल, उम्र 50 वर्ष, जाति लोधी,
3. अरुण कुमार पिता साहेबलाल, उम्र 30 वर्ष, जाति लोधी,
4. संजय कुमार पिता साहेबलाल, उम्र 27 वर्ष, जाति लोधी,
5. प्रमुख पिता साहेबलाल, उम्र 22 वर्ष, जाति लोधी,
6. राहूल पिता साहेबलाल, उम्र 16 वर्ष, जाति लोधी,
 वली मां खेलनबाई बेवा, साहेबलाल,
 सभी निवासी ग्राम बोदा तहसील व
 जिला बालाघाट.....

अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

1. आवेदक/वादी द्वारा श्री यूनस कुरैशी अधिवक्ता।
2. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण द्वारा श्री आर.के.वाजपेयी अधिवक्ता।

// आदेश //

{ आज दिनांक 18.01.2018 को पारित }

1. इस आदेश द्वारा आवेदक/वादी की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश-39 नियम-1 व 2 तथा धारा-151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर-1 का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर-1 संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी क्रं. 01 वादी का पिता है, प्रतिवादी क्रं. 2 वादी की भाभी है, तथा प्रतिवादी क्रं. 3 से 6 वादी के भतीजे हैं वादी तथा प्रतिवादीगण ग्राम बोदा तहसील व जिला बालाघाट के निवासी एवं कास्तकार है। वादी के आज्ञा मृतक ढोन्डू के मालकी व कब्जे में ग्राम बालाघाट प.ह.नं. 13/2, रा.नि.मं. बालाघाट तहसील व जिला बालाघाट में भूमि खसरा नं. 113/2, 111/6, 111/4/2 रकबा क्रमशः 0.050, 0.154, 0.303 भूमि स्वामी हक की भूमि थी। उपरोक्त भूमि वादी के आज्ञा ढोन्डू के मालकी व कब्जे की थी, ढोन्डू की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त भूमि वादी के पिता सुक्कल के नाम पर राजस्व प्रलेखों में प्रविष्टित हुई, वर्तमान में भी यह भूमि प्रतिवादी क्रं. 1 सुक्कल के नाम पर ही राजस्व प्रलेखों में दर्ज है, वादी तथा प्रतिवादीगण का संयुक्त परिवार है तथा उनके बीच अभी तक उपरोक्त भूमि का कोई विभाजन नहीं हुआ है, हिन्दु विधि के अनुसार वादी का उक्त भूमि में 1/3, प्रतिवादी क्रं. 1 तथा प्रतिवादी क्रं. 2 से 6 का 1/3 हक व हिस्सा है। वादी

तथा प्रतिवादीगण के बीच उपरोक्त भूमि का कोई विभाजन नहीं हुआ है, तथा उन्हें यह भूमि किसी भी व्यक्ति को विक्रय करने का कोई अधिकारी नहीं है।

3. आवेदक/वादी ने आगे यह अभिवचन किया है कि वादी के पिता प्रतिवादी कं. 1 वृद्ध है, वादी के भाई साहेबलाल की मृत्यु लगभग 3 वर्ष पूर्व हो चुकी है। प्रतिवादी कं. 1 साहेबलाल के जीवनकाल में ही वादी के पास ही निवास करता था, लेकिन साहेबलाल की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी कं. 1 की वृद्धावस्था का फायदा उठाते हुए प्रतिवादी कं. 2 से 6 के द्वारा उसे अपने पास रख लिया गया है, इस प्रकार प्रतिवादी कं. 1 प्रतिवादी कं. 2 से 6 के पास निवास कर रहा है तथा वह उनके प्रभाव में है। प्रतिवादी कं. 2 से 6 प्रतिवादी कं. 1 की वृद्धावस्था तथा राजस्व प्रलेखों में उसका नाम होने का फायदा उठाते हुए उपरोक्त वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर देना चाहते हैं। वादग्रस्त भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति है तथा उसमें वादी का 1/3 हक व हिस्सा है तथा वादी व प्रतिवादीगण के बीच भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी कं. 1 को यह भूमि किसी भी व्यक्ति को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी कं. 1 प्रतिवादी कं. 2 से 6 के बहकावे में आकर इस भूमि को किसी भी व्यक्ति को विक्रय कर देता है तो वादी को अनेक प्रकरणों में उलझना होगा तथा वादी को अपने पैतृक हक से वंचित होना पड़ेगा। इस प्रकार वादी को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी भरपाई द्रव्य से या किसी अन्य साधन से संभव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी कं. 1 को वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने से स्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा रोका जाना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि चूंकि वादी की पैतृक संपत्ति है। अतः उसमें प्रतिवादी कं. 1 का अकेले का ही कोई स्वामित्व नहीं है, लेकिन वह राजस्व प्रलेखों में अपने नाम का इन्द्राज होने का फायदा उठाते हुए यह भूमि विक्रय कर देना चाहता है तथा वादी को अपरिमित क्षति पहुंचाना चाहता है। अतः वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध उद्घोषणा तथा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है।

4. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण कं. 1 व 2 की ओर से वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट कथन में यह अभिवचन किया है कि वादी का विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है और ना ही उसका नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज है। वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन भी नहीं है। वैसे भी वादी ने वाद मात्र संभावना के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसके कारण वह निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। वादी को किसी प्रकार से अपूर्ण क्षति नहीं होगी। वैसे भी वर्तमान समय में वादी का जन्मनाधिकार भूमि पर नहीं होने के कारण वह अपना अधिकार इस भूमि पर नहीं रखता है। प्रतिवादी कं. 1 के पिता ढोंडू जेठया थे, जिनके पांच लड़के ढोन्डू, धुंदा, पुनाजी, किशन, बिशन थे, जिनके बीच में भाई बंटवारा होने पर 6.5 एकड़ भूमि उसे प्राप्त हुई थी, जिसमें ढोन्डू ने आपसी मौखिक बंटवारा कर सुक्कल, शोभा, झाडू को 2.18 एकड़ भूमि आई थी, बाद में सन् 2016 में भूमि का सीमांकन करवाने पर 36 डिसमिल भूमि ज्यादा होने पर तीनों भाईयों को 0.12 डिसमिल भूमि दी गई, इस तहर सुक्कल को कुल 2.30 डिसमिल भूमि प्राप्त हुई है। जिसे सुक्कल ने बचत भूमि 1.50 एकड़ भूमि को देवसिंह व साहेबलाल के वारिसगणों को कमाने के लिए दिया है, उक्त भूमि पर वर्तमान में सुक्कल का नाम दर्ज है। सुक्कल के द्वारा 0.71 डिसमिल(गोमती अल्टाटेक गोदाम वाले को 20 डिसमिल व अपने भाई झाडू को 51 डिमिल) भूमि अपने परिवार के हित में विक्रय की जा चुकी है।

5. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण ने आगे यह अभिवचन भी किया है कि सुक्कल की पत्नी पवनबाई को उसके मायके से 4 एकड़ भूमि मिली थी, जिसमें से तीन एकड़ भूमि पटवारी से सांठगांठ कर अपने नाम से कर लिया है जबकि उक्त जमीन पर साहेबलाल के वारिसगणों का भी हक है वादी संपूर्ण भूमि को स्वयं कमा रहा है। राजस्व प्रलेखों में मात्र 1 एकड़ भूमि पवनबाई के नाम से है। वादी ने साहेबलाल के मकान का आधा भाग बिना साहेबलाल की इच्छा से अपने नाम करा लिया है। वादी का व्यवहार प्रतिवादी कं. 1 से अच्छा ना होने के कारण से तथा उसे अपने घर से निकाल देने के कारण से प्रतिवादी कं. 1 व वादी के बीच में कोई बात नहीं होती है। वादी के द्वारा अपनी मां पवनबाई के साथ मारपीट कर उसके मायके की जमीन को भी कब्जा कर लिया है। पवनबाई का स्वर्गवास हो चुका है। वादी के द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादीगण को नोटिस प्राप्त होने वाले दिन 03.11.2017 को वादी के द्वारा खेत में रखी फसल को आग लगा दी गई, जिसकी शिकायत प्रमुख नगपुरे के द्वारा थाना बालाघाट में की गई जिस पर देवीसिंह पर 435 भा.द.सं. का प्रकरण दर्ज हुआ है। इस तरह वादी के खिलाफ दिनांक 01.10.2017 को अरुण पिता साहेबलाल के द्वारा दर्ज कराई गई है जिसे धारा 154 द.प्र.सं. में दर्ज किया है। वादी उदण्ड किस्म का व्यक्ति होने के कारण प्रतिवादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से यह झूठा वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

6. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण कं. 1 व 2 की ओर से वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट कथन में यह अभिवचन किया है कि

7. विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :-

- 1- क्या प्रथमदृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में सुदृढ़ है ?
- 2- क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में है ?
- 3- क्या वादी/आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2, 3 के संबंध में:-

8. सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदक/वादी ने यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमियां उसके पिता प्रतिवादी कं. 1 सुक्कल को उसके पिता ढोंडू से प्राप्त हुई हैं, उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त के परिवार की है और उनके बीच विभाजन नहीं हुआ है, वादी और प्रतिवादी कं. 2 लगायत 6 का उसमें 1/6 हिस्सा है, प्रतिवादी कं. 1 की वृद्धावस्था का फायदा उठाते हुए प्रतिवादी कं. 2 लगायत 6 उसे अन्यत्र विक्रय करना चाहते हैं, जबकि उसमें वादी का 1/3 अधिकार निहित है, यदि विक्रय कर दिया जाता है तो वादी को अपरिमित क्षति होने की संभावना है। इस संबंध में अनावेदकगण की ओर से यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादीगण के पिता ढोंडू के पांच लड़के थे, और उनके मध्य भाई बंटवारा हो चुका है जिसमें सुक्कल को 2.30 भूमि प्राप्त हुई थी, जिसे सुक्कल ने 1.50 एकड़ भूमि वादी और साहेबलाल को कमाने के लिए दी थी, उक्त भूमि सुक्कल के नाम पर दर्ज है सुक्कल के द्वारा 0.51 भूमि परिवार के हित में विक्रय कर दी गई है। वादी के द्वारा सुक्कल के दूसरे पुत्र साहेबलाल के हिस्से की भूमि

व अपनी माता को मायके से प्राप्त चार एकड़ में तीन एकड़ भूमि और दादा ढोंडू का मकान राजस्व अधिकारियों से साठ गांठ करके अपने नाम दर्ज करवा लिया है उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वादी का आवेदन विधिसंगत न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

9. वादी ने वादग्रस्त भूमि सुक्कल को अपने पिता से प्राप्त होना बताया है, जबकि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि सुक्कल को अपने पिता से भाई बंटवारे में प्राप्त होने का कथन किया है, वादग्रस्त भूमि सहदायिकी भूमि है, ऐसी कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिवादी की ओर से वर्तमान वर्ष के राजस्व दस्तावेज पेश किये गये हैं, जिसमें वादग्रस्त भूमि सुक्कल के नाम पर दर्ज है और इसका आधार बंटवारा होना लेख किया गया है, उक्त भूमि 23.01.16 को सुक्कल के नाम पर दर्ज हुई है, न्यायदृष्टांत कमीशनर ऑफ बेल्थ टैक्स कानपुर विरुद्ध चन्द्रसेन ए.आई.आर.1986 एस.सी. 1753 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू हो जाने के पश्चात् बर्थराइट थ्योरी अर्थात् जन्म से अधिकार के सिद्धांत का कोई अर्थ शेष नहीं रहता है और पुत्रों को अपने पिता की संपत्ति में अपने पिता की मृत्यु उपरांत ही हिस्सा प्राप्त हो सकता है। सुक्कल अभी जीवित है, उसमें वादी और प्रतिवादी क्रं. 2 लगायत 6 को बंटवारा कराये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, वर्तमान में सुक्कल उक्त भूमि का एक मात्र स्वत्वधारी है, तथा आवेदक की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है कि सुक्कल उक्त भूमि किसे विक्रय किये जाने हेतु प्रयासरत है। अतः प्रथमदृष्टया मामला वादीगणों के पक्ष में दिखाई नहीं देता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं दिखाई देता है तथा प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में न होने से अपूर्ण्य क्षति और सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में दिखाई नहीं देता है।

10. अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ आवेदक/वादी के पक्ष में न होने से आवेदक/वादी का उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश-39 नियम 1 व 2 सी.पी. सी. आई.ए.नंबर-1 विधिसंगत न होने से **निरस्त** किया जाता है।

11. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही/—

(अपर्णा आर.शर्मा)

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)

सही/—

(अपर्णा आर. शर्मा)

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)